



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112022-240532
CG-DL-E-24112022-240532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5227]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944

No. 5227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5456(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुराम् जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (तडिपात्री बाईपास रोड) के (डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 7.750) तक प्रारम्भ होने कि.मी. 467.000 का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 और समाप्त होने के कि.मी. 64.000 के का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544D निर्माण (दो लेन का बनाना / चार लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तपुरम् जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (तडिपात्री बाईपास रोड) के (डिज़ाइन कि.मी 0.000 से कि.मी 7.750) तक प्रारम्भ होने कि.मी.467.000 का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 और समाप्त होने के कि.मी.64.000 के का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544D तक के भूखण्ड पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर, अनन्तापुरामु ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH67 के कि.मी. 0 से 7.75 तक	आंध्र प्रदेश	अनन्तापुरामू	ताड़ीपटरी	1 गंगदेविपल्ले

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-1, Date:18.04.2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5456(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (2' Lane/4' Lane etc.) Maintenance, management and operation of Tadipatri Bypass on NH-67 (Design Chainage from Km.0/000 to Km.7/750) i.e., originating at Km. 467/000 of NH-67 and terminates at Join at Km. 64/000 of NH-544D in Ananthapuramu District in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of Tadipatri Bypass on National Highway No. 67, (Design Chainage from Km. 0/000 to Km. 7/750) i.e., originating at Km. 467/000 of NH-67 and terminates to join at Km. 64/000 of NH-544D in Anantapuramu District in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JOINT COLLECTOR, ANANTHAPURAMU ()	0 KM To 7.75KM	ANDHRA PRADESH	Anantapuramu	Tadipatri	1 Gangadevipalle

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-1, Date:18.04.2022]

RAJESH GUPTA, Director